... पक्ष वकील पक्षकार उप० की माफी दिया
हेतु तारीख नादी होकर 27-12-18 को पेश हो।

27·12·18

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. सा.
मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली
वास्ते माफी दिया दिनांक 1-1-19
को पेश हो।

1-1-19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार एवं पक्षकार
उपस्थित हैं। पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर
आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया।

तारीख हुक्म	(2) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी।	
	उपस्थित पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के राजीनामें को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया। उपस्थित पक्षकारान् द्वारा पढ़-सुन तथा समझ कर राजीनामे को सहर्ष अंगीकार किया तथा उनके द्वारा ही स्वयं आपसी सहमति से प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया।	
	रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 24.12.2018 को शामिल पत्रावली किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि ग्राम गोवर्धनपुरा खसरा नम्बर 12 रकबा 0.11 हेक्टर किस्म चाह स्थित है। चाह का मौके पर रकबा 0.01 हेक्टर ही था, जो भी वर्तमान में भरवाया जाकर भूमि समतल की जा चुकी है। मौके पर कोई चाह नहीं है।	
	उक्त भूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 से खसरा नम्बर 13 में से 5412 वर्ग फुट यानि 0.05 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की गई है। इस प्रकार मौके पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त भूमि का राजीनामा अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं। चाह का रकबा 0.11 के स्थान पर 0.01 हेक्टर दर्ज करवाते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हुये उक्त भूमि का वादी रकबा 0.06 हेक्टर, प्रतिवादी नं. 1 रकबा 0.05 हेक्टर तथा प्रतिवादी नम्बर 2 रकबा 0.05 हेक्टर के अनुसार विभाजन करवा दिया जावे। चाह का रकबा 0.01 हेक्टर प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में रख दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी० का कथन है, कि प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को खसरा नम्बर 12 के सरहद सरहद दक्षिण पश्चिम की तरफ 0.05 हेक्टर भूमि बेचान की है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 राजीनामें अनुसार बंटवारा करवा लेवें है, तो प्रतिवादी नं. 3 व 4 को आपत्ति नहीं है। पश्चात् रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ही काबिज है। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन किया गया। हस्ब नकल जमाबंदी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ग्राम गोवर्धनपुरा खसरा नम्बर 12 रकबा 0.11 हेक्टर के अभिलिखित खातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नं० 3 व 4 से खस० नम्बर 13 की 5412 वर्ग फुट जमीन

तारीख हुक्म	(3) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	0.05 हेक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 5.5.10 को क्रय किया जाना प्रमाणित है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 0.66 है० प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के नाम दर्ज है। 0.05 हेक्टेयर भूमि को वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज करने पर प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को आपत्ति नहीं है।	
	हल्का मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 12 में चाह स्थित नहीं है। उक्त पूर्व चाह को मलवा आदि डाल कर भरवा दिया गया है। नगर पालिका रामगंजमण्डी के आदेश क्रमांक 2764 दिनांक 26.10.12 जिसकी प्रति था.का.है, के द्वारा भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित किया जा चुका है। अर्थात ग्राम गोरधनपुरा के खस०नं० 12 हाल को संपरिवर्तित किया जा चुका है। इस तरह भूमि की किस्म को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपरिवर्तित किया जा चुका है।	
	अतः राजीनामें की हद तक प्रकरण विवादग्रस्त को स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।	
	अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम गोरधनपुरा के हाल खसरा नम्बर 13 का रकबा 0.05 हेक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम पर सहखातेदारी में दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किया जाकर ख० नं० 12 व 13 का वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

(1) जगदेव शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० रामगंजमण्डी

ख० नं०	रकबा	किस्म	हिस्सा
12	0.05 हे.	आवासीय	प०
13	0.01 हे.	चाही III	द० प०
2	0.06 हे.		

(2) सुखदेव शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० रामगंजमण्डी

ख० नं०	रकबा	किस्म	हिस्सा
12	0.04	आवासीय	मध्य
13	0.01	चाही III	द० प०
2	0.05		

(3) अनिल शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० रामगंजमण्डी

ख० नं०	रकबा	किस्म	हिस्सा
12	0.02	आवासीय	पू०
13	0.03	चाही III	प०
2	0.05		

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नक्शे में तरमीम की जावे तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेखभण्डार हो।

निर्णय आज 01-01-2019 को सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

डिकरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
ब इजलास कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.)
जगदेव बनाम सुखदेव

दावा बाबत 53, 88, 89 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 80 सन 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.)
ब हाजरी श्री परमानन्द अहीर एड० मिनजानिब मुद्दई व श्री S.R. अहीर एड०
मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
बाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम गोवर्धनपुरा के हाल खसरा नम्बर 13 का रकबा 0.05 है० का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम पर सहखातेदारी में दर्ज किया जाकर ख० नं० 12 व 13 का वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 व 2 के मध्य कुल्ले पर भौकिलानुसार खाता विभाजन किया जाता है।
नीज मुबलिग बाबत
खर्चा इस मुकद्दमे की मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 01 2019 को जारी की गई।

दस्तखत (signature)
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(1) जगदेव शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० रा० मण्डी

खसरा नं.	रकबा	किस्म	रिमार्क
12	0.05	आबादीम	प०
13	0.01	चाही III	रा० प०
किता 2	0.06 हे.		

(2) सुखदेव शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० सा० मण्डी

खसरा नं	रकबा	किस्म	रिमार्क
12	0.04	आबादीम	मटम
13	0.01	चाही III	रा० प०
किता 2	0.05 हे.		

(3) अनिल शर्मा पुत्र बच्चनराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा० रा० मण्डी

खसरा नं.	रकबा	किस्म	रिमार्क
12	0.02	आबादीम	दर्ज
13	0.03	चाही III	प०
किता 2	0.05 हे.		

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर नक्शों में तामील की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी